उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, वाराणसी क्षेत्र के विभिन्न डिपो, कार्यशालाओं व बस स्टेशनों पर साइलेन्ट फीचर जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा।

टेण्डर–सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–702 एमटी/2015–60 एमटी/94(।।।) दिनांक 30 मार्च–2015 के अनुक्रम में वाराणसी क्षेत्र के निम्नलिखित डिपो कार्यशालाओं व बस स्टेशनों के नाम के सन्मुख अंकित क्षमता के साइलेन्ट फीचर जनरेटर सेट नया एवं ब्राण्डेड (किर्लोस्कर, कमिन्स, लीलैण्ड,महिन्द्रा एवं जैक्सन आदि) किरायें पर लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे निम्न शर्तो के आधार पर 03 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर जनरेटर लगाये जाने हेतु अपनी निविदायें/प्रस्ताव अपने लेटर पैड पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 02–05–2018 तक समय 15.00 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25–04–2018 से किसी भी कार्यालय दिवस में रुपया–200.00 एवं जीएसटी–18 प्रतिशत अलग से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर प्राप्त कर सकते है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले निविदाओं/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। और निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। तीन वर्ष उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः अनुबन्ध 02 वर्ष हेतु नवीनीकरण किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

क0सं0	कार्यशाला/बस स्टेशन का नाम	जनरेटर की क्षमता
1–	डिपो कार्यशाला, गाजीपुर व बस स्टेशन, गाजीपुर डिपो	63 के0वी0ए0
2–	डिपो कार्यशाला, जौनपुर व बस स्टेशन, जौनपुर डिपो	63 के0वी0ए0

शर्ते–

1–निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 15 दिवसों के अन्दर नया जनरेटर सेट ब्राण्डेड लगाना होगा तथा उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

2–समस्त व्यय जैसे जनरेटर के आपरेटर, डीजल, मेन्टेनेन्स, मेन्टेनेन्स से सम्बन्धित सामान, कलपुर्जो एवं अन्य कर इत्यादि निविदादाता द्वारा देय होगा।

3–निविदादाता द्वारा जनरेटर का मासिक किराया अलग से इंगित किया जायेगा जिसमें जीएसटी की दर शामिल होगी।

4–निविदादाता द्वारा डीजल के व्यय का भुगातान प्रति घंटे के डीजल के औसत खपत के अनुसार जो वास्तविक अथवा कम्पनी के स्पेसिफिकेशन के अनुसार न्यूनतम होगा, के आधार पर किया जायेगा।

5–किराये पर लगे जनरेटर में इलेक्ट्रानिक मीटर लगा(इनबिल्ड) होना चाहिए, ताकि टेम्परिंग न की जा सके।

6–जनरेटर की लागबुक निविदादाता को बनानी होगी जिसपर जनरेटर के प्रत्येक बार स्टार्ट एवं बन्द होने का समय डिपो फोरमैन द्वारा अंकित किया जायेगा।

7–समस्त देय करों का भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा।

8–जनरेटर में डीजल खपत की समीक्षा परिवहन निगम द्वारा समय–समय पर गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनीधि भी होगे। उनके द्वारा निर्धारित खपत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपोज/वरिष्ठ अग्रजन / स्टेशन अधीक्षक व डिपो लेखाकर द्वारा बिल सत्यापित व प्रति हस्ताक्षरित कर जनरेटर के मासिक किराये/बिल का भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर किया जायेगा।

9–जनरेटर का संचालन निविदाकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि से कराना होगा। जनरेटर द्वारा पावर बैकअप की सुविधा 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। जनरेटर खराब होने की स्थिति में संचालक को दूसरा जनरेटर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

10–प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11–जमानत के रुप में धनराशि रुपया दस हजार(रु0 10000.00) का अर्नेस्टमनी का बैक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, वाराणसी के नाम से प्रत्येक डिपो का पृथक–पृथक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12–किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

13–निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा एवं अन्य औपचारिकतायें निविदादाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।

14–निविदादाता को पैनकार्ड, जीएसटीन नम्बर व फर्म के पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति साथ में देना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म के साथ उपरोक्त प्रमाण–पत्रो की छाया प्रति संलग्न न होने पर प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

15–निविदादाता को जनरेटर के पास सुरक्षा हेतु 04/06 कि0ग्रा0 के दो नग अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा।

16–अनुबन्ध की अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर देखा जा सकता है।

(राजीव आनन्द)
सेवा प्रबन्धक
वाराणसी

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उ0 प्र0 परिवहन निगम
वाराणसी

पत्रांक–वारा0/से0प्र0/किराये का जनरेटर/ 457 /18 दिनांक 25–04–2018

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक/संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2–प्रधान प्रबन्धक(विविध/एम0आई0एस0), परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ।
3–नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी।
4–क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।
5–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।
6–सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0), परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ को परिवहन निगम की बेबसाईड पर विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
7–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम, गाजीपुर व जौनपुर डिपो को इस आशय से कि वह बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर इस विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराना सुनिश्चित करे।
8–नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, कार्यालय उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।

सेवा प्रबन्धक
वाराणसी